राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4005/2022

किशन लाल शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, प्रथम, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नीमकाथाना, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.10.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 23.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति, नीमकाथाना, सीकर से पंचायत समिति किशनगढ, रेनवाल, जयपुर में किया गया है।
3. उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 25 दिन में ही कर दिया गया है। पूर्व में अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 29.07.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा पदोन्नति के पश्चात् पंचायत समिति, नीमकाथाना, सीकर में किया गया था एवं अल्पावधि में ही पुनः स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.08.2022 (अनुलग्नक–1) की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
5. अपीलार्थी का पूर्व में दिनांक 29.07.2022 के आदेश द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया था वह पदोन्नति के पश्चात् पंचायती समिति, नीमकाथाना से पंचायत समिति, नीमकाथाना में ही किया गया था । अतः उक्त स्थानान्तरण में स्थान का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि उसी पंचायत समिति में अपीलार्थी को पदोन्नति के पश्चात् सहायक विकास अधिकारी के रूप में लगाया गया था। वर्तमान में आदेश दिनांक 23.08.2022 के द्वारा स्थान का परिवर्तन किया गया है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी पंचायत समिति, नीमकाथाना, सीकर में दिनांक 12.11.2014 से पदस्थापित है। ऐसे में समुचित समय तक पंचायत समिति, नीमकाथाना में पदस्थापित रहने के पश्चात् अपीलार्थी का वर्तमान में स्थानान्तरण हुआ है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया है।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा बताई गई आपत्ति उचित नहीं है। अतः अपील में कोई बल नहीं होने से अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R